

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

अब तक 50 लाख मी०टन लक्ष्य के सापेक्ष 50.23 लाख मी०टन गेहूँ की खरीद

लखनऊ : 13 जून, 2018

मूल्य संमर्थन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक निर्धारित लक्ष्य 50 लाख मी०टन के विरुद्ध 50.23 लाख मी०टन गेहूँ क्रय किया गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 100.47 प्रतिशत है यह गेहूँ 10,50,457 कृषकों से क्रय किया गया तथा 8697.63 करोड़ रुपये का कृषकों को भुगतान किया गया। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य विभाग के आयुक्त श्री आलोक कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि तथ्यगत है कि यह खरीद गत 05 वर्षों में हुई गेहूँ खरीद से सर्वाधिक है। इस वर्ष गेहूँ खरीद में ई-उर्पाजन मॉड्यूल पर कृषकों का ऑन लाइन पंजीकरण कराते हुए पारदर्शी तरीके से गेहूँ क्रय किया गया तथा कृषकों को गेहूँ के मूल्य का 72 घंटे के अंदर उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कराया गया। इसके अतिरिक्त कृषक बन्धुओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उतराई, सफाई व छनाई के मद में 10 रुपये प्रति कुन्तल का अतिरिक्त भुगतान भी किया गया।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष क्रय केन्द्रों को बिचौलियों से दूर रखने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर समय-समय पर जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेज कर जांच कराई गई एवं जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराया गया। गेहूँ क्रय में अनियमितता पाए जाने पर दोषी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार व बिचौलियों के विरुद्ध कुल 58 प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई, जिसमें कुल 122 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, 32 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही योजित की गई, 24 को निलम्बित किया गया। इस प्रकार कुल 556 कार्यवाहियां की गई।

श्री आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में लगभग 09 लाख मी०टन गेहूँ भा०खा०नि० में सम्प्रदान हेतु अवशेष है। संभावित वर्षा आदि के दृष्टिगत एजेन्सियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे भा०खा०नि० के भण्डारण डिपो में वरीयता के आधार पर सम्प्रदान कराया जाए। जिन स्थानों पर गेहूँ भण्डारण स्थान के अभाव में सम्प्रदान नहीं हो पाता, वहां क्रय केन्द्रों पर अथवा निकटवर्ती स्थानों पर नियमानुसार किराए के गोदाम कैरीओवर चार्जेज के अंतर्गत लेकर भण्डारित कराया जाए तथा भा०खा०नि० में स्थान रिक्त होने तक सम्प्रदान कराया जाए।

संपर्क सूत्र—

सूचना अधिकारी— सरिता वर्मा

ऊषा किरन/6:10